



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 08/04/2021

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0
0082/2021 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त
दीनानाथ चौधरी गिरफ्तार

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 0082/2021 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दीनानाथ चौधरी उर्फ बिल्लू पुत्र जियालाल निवासी नासिरपुर थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष को मण्डुवाडीह रेलवे स्टेशन के पास से समय करीब 00.50 बजे गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- ❖ दीनानाथ चौधरी उर्फ बिल्लू पुत्र जियालाल निवासी नासिरपुर थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- ❖ उ0नि0 ब्रजेश सिंह, हे0का0 अशोक कुमार यादव, हे0का0 जयगोविन्द यादव व का0 अजय कुमार थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।





कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 08/04/2021

थाना सिगरा पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध
अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना सिगरा में
पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2021 धारा 153(बी)/505(2)/295(ए) भादवि एवं
67 आई.टी. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले
मिश्रा जी गिरफ्तार

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2021 धारा 153(बी)/505(2)/295(ए) भादवि एवं 67 आई.टी. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी पुत्र राधेकृष्ण मिश्रा उर्फ बब्बन महाराज निवासी सी 19/59-K काशी विद्यापीठ परिसर थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 39 वर्ष को भारत माता मंदिर के पास बनारस वाले मिश्रा जी चाय की दुकान से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- ❖ हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी पुत्र राधेकृष्ण मिश्रा उर्फ बब्बन महाराज निवासी सी 19/59-K काशी विद्यापीठ परिसर थाना सिगरा वाराणसी उम्र करीब 39 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0021/2015 धारा 143/341/353 भादवि एवं 31(ए)
सी.एल.ए. एकट थाना सिगरा जनपद वाराणसी
2. मु0अ0सं0 338/2020 धारा 294 भादवि थाना सिगरा जनपद वाराणसी
3. मु0अ0सं0 421/2020 धारा 143/145/188/269/270 भादवि व धारा 51
आपदा प्रबन्ध अधि0 2005 व महामारी अधि0 1897 धारा 3 व उ0प्र0
महामारी कोविड 19 द्वितीय संशोधन विनियामावली 2020 धारा 15(4)
थाना सिगरा वाराणसी
4. मु0अ0सं0 697/18 धारा 153(ए)/506 भादवि थाना सिगरा जनपद
वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- ❖ उ0नि0 विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी लल्लापुरा, हे0का0 हंसराज
यादव व हे0का0 गिरीश चन्द्र पाण्डेय थाना सिगरा वाराणसी।

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।





कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 08/04/2021

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0052/2021 धारा 376/504/506 से सम्बन्धित अभियुक्त कैलाश सोनकर गिरफ्तार

आज दिनांक 08.04.2021 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0052/2021 धारा 376/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कैलाश सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर निवासी राल्हपुर टेंगरा मोड़ भीटी थाना रामनगर वाराणसी को विश्वसुन्दरी पुल के नीचे टेंगरा मोड़ भीटी से समय करीब 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- ❖ कैलाश सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर निवासी राल्हपुर टेंगरा मोड़ भीटी थाना रामनगर वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- ❖ उ0नि0 विनोद कुमार मिश्र चौकी प्रभारी भीटी, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 मदन सेन व का0 रोशन थाना रामनगर, वाराणसी।

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 08/04/2021

थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0-197/13 धारा 354/506 भा0द0वि0 व 11/12 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष साहनी पुत्र संगम साहनी निवासी डोमरी थाना रामनगर वाराणसी को मानिटारिंग सेल व थाना कोतवाली की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 08.04.2021 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास व रु0- 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।